

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना (म0प्र0)

केंटीन संचालन हेतु निविदा फार्म एवं शर्तें

—: निविदा फार्म :—

प्रथम पक्ष : निविदाकर्ता का नाम

पता

मोबा.न.....

किस स्थान पर केंटीन का
संचालन करना चाहते हैं।

पन्ना

द्वितीय पक्ष :-

जिला रजिस्ट्रार,

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना म२प्र०

जिला न्यायालय परिसर पन्ना स्थित केंटीन के संचालन हेतु निविदाकर्ताओं से 01 वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है -

॥ निर्धारित शर्तें ॥

1. निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदाएँ दिनांक 13/06/2016 के सायंकाल 5:00 बजे तक स्वीकार की जाएंगी। इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. अनुज्ञा शुल्क पन्ना स्थित केंटीन हेतु रुपये 10250/- प्रतिमाह की दर से निर्धारित होगा, जो प्रथम पक्ष अनुबंध निष्पादन के पूर्व सम्पूर्ण वर्ष भर का $10250 \times 12 = 1,23,000$ Rs. की आधी राशि 61500/- रुपये अग्रिम के रूप में द्वितीय पक्ष को अदा करेंगे।
3. निविदाकर्ता एवं द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध एक वर्ष के लिये सम्पादित किया जायेगा। अनुबंध अनुसार केंटीन संचालन की 1 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर संचालन की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है इस हेतु प्रथम पक्ष द्वारा अधिकतम बोली की राशि जो निर्धारित की गई है, उस राशि के अतिरिक्त उक्त राशि पर 10 प्रतिशत राशि अतिरिक्त रूप से द्वितीय पक्ष को अदा करनी होगी एवं अनुज्ञा शुल्क की राशि उपरोक्तानुसार जिला पन्ना स्थित केंटीन के संचालन हेतु एक मुश्त जमा करनी होगी। केंटीन संचालन हेतु अतिरिक्त रूप से एक वर्ष की वृद्धि चाहने पर निविदाकर्ता को अनुबंध समाप्त होने के दिनांक से 01 माह पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

4. केंटीन संचालन में अनुबंध अनुसार अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि प्रथम पक्ष द्वारा केंटीन का संचालन बन्द किया जाता है तो निविदाकर्ता को उसके द्वारा जमा की गई कोई राशि लौटायी नहीं जावेगी।
5. निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ रुपये 25000/- की अमानत राशि जिला न्यायाधीश पन्ना को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगी। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जायेगा, किन्तु सफल निविदाकर्ता की अग्रिम वाली उक्त राशि सहित कुल राशि जो अधिकतम बोली के बराबर हो, निविदाकर्ता और जिला न्यायाधीश पन्ना के संयुक्त नाम की बैंक एफ.डी. के रूप में अमानत राशि के रूप में रखी जायेगी, जो निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का किसी भी रूप में उल्लंघन किये जाने पर समिति द्वारा सम्पूत की जा सकेगी।
6. सफल निविदाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत एफ.डी.आर. अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर प्रथम पक्ष को वापिस की जावेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, परन्तु सावधि पर अर्जित बैंक ब्याज प्रथम पक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
7. प्रथम पक्ष द्वारा केंटीन संचालन हेतु प्रथम 01 वर्ष के लिये राशि रुपये 1,23,000/- अक्षरी एक लाख तेइस हजार रुपये की न्यूनतम बोली प्रस्तावित की जाती है।
8. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम बोली अंतिम रूप से मान्य होगी, उसे निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक को या उसके पूर्व बोली की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनांक से ठीक 6 माह पूर्ण होने के 15 दिवस पूर्व जमा करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।
9. अधिकतम बोली की प्रस्तावित की गई राशि अंतिम होने की स्थिति में केंटीन के पूर्व वार्षिक अग्रिम के रूप में अदा करना होगी, अन्यथा निविदा शर्तों का उल्लंघन होने से अनुबंध निरस्त किया जाकर प्रथम पक्ष को केंटीन संचालन हेतु रोक दिया जावेगा।
10. अनुबंध की शर्तों का प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के केंटीन अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन हित में राजसात की जा सकेगी, जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।
11. माननीय उच्च न्यायालय M0प्र0 के आदेशानुसार या अन्यथा जिला न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञा शर्तों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा जिसका निविदाकर्ता को पालन करना अनिवार्य होगा।
12. केंटीन के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर, विवाद का निराकरण जिला न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा, जिसका निर्णय /अवार्ड अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
13. निविदाकर्ता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय संपत्ति को क्षति कारित हो अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेगी।
14. निविदाकर्ता केंटीन संचालन के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधि विरुद्ध

गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा निविदाकर्ता के विरुद्ध विधिवत कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

15. प्रथम पक्ष या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों हेतु कैंटीन परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कैंटीन परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर कैंटीन का अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

16. समय-समय पर द्वितीय पक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कैंटीन का निरीक्षण किया जा सकेगा।

17. निविदाकर्ता कैंटीन का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में समय-समय पर द्वितीय पक्ष के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किया जायेगा तथा लोक अदालत आदि के विशेष अवसरों पर कैंटीन का संचालन आवश्यक रूप से किया जायेगा।

18. निविदाकर्ता कैंटीन के संचालन के दौरान उन्हे आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण/संरचना नहीं किया जायेगा। निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन संचालन में ऐसा अस्थायी निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुये अनुमोदित करवाने के उपरान्त ही कर सकेंगे जो शासकीय संपत्ति को क्षति कारित करने वाला न हों किन्ही कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थाई निर्माण के हटाने का आदेश देगा तो निविदाकर्ता अपने अस्थाई निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटायेगा।

19. निविदाकर्ता कैंटीन कक्ष का पृथक से विद्युत संयोजन प्राप्त कर निर्धारित अवधि में विद्युत देयक का भुगतान करेगा।

20. क्रमांक 14, 15 एवं 24 से संबंधित उल्लंघन के संबंध में या अन्यथा किसी भी आपराधिक कृत्य हेतु उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का ही रहेगा। द्वितीय पक्ष उसके लिये किसी भी रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।

21. कैंटीन दुकान के संचालन के लिये प्रथम पक्ष द्वारा ही मशीनों को रखा जावेगा तथा उसका रखरखाव में हुये व्यय का वहन भी प्रथम पक्ष का ही होगा।

22. निविदाकर्ता कैंटीन दूकान का विधि अनुसार संबंधित नगरपालिका परिषद/नगरनिगम में दूकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करायेगा तथा समस्त प्रकार के करों का भुगतान करेगा।

23. निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र "यदि उसने पूर्व में कैंटीन का कार्य किया हो" उक्त अनुभव आदि को समिति द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुये प्राथमिकता दी जा सकेगी।

24. निविदाकर्ता द्वारा खाद्य सामग्री विक्रय की दरें द्वितीय पक्ष से अनुमोदित करवाई जायेगी तथा ऐसा दर बाजार रेट से अधिक नहीं होगा एवं अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जायेगी।

25. विक्रय योग्य वस्तुओं की दरें कैंटीन परिसर के सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी प्रथम पक्ष का होगा।

26. निविदाकर्ता कैंटीन तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा। अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रति दिवस पाँच सौ रुपये की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।
27. निविदाकर्ता अनावश्यक रूप से कैंटीन बंद नहीं रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा रुपये 1000/-प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।
28. कैंटीन संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कोई दायित्व नहीं रहेगा।
29. भवन की नक्शे में उल्लेखित "अ" स्थान को भाग कैंटीन कक्ष संचालन हेतु दिया जावेगा। निविदाकर्ता निविदा फार्म जमा करने के पूर्व कैंटीन कक्ष के स्थान का अवलोकन आवश्यक रूप से कर लेवे।
30. अनुबंध अवधि में जल संयोजन हेतु अनुमति पक्ष क्रमांक-2 द्वारा नियमानुसार दी जा सकेगी, जिसका व्यय निविदाकर्ता को ही वहन करना होगा।
31. सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा फार्म में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टाम्प ड्यूटी पर स्वयं के व्यय से निष्पादन किया जायेगा।
32. कैंटीन जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित समय सामान्यतः प्रातः 09:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक ही चलाई जायेगी तथा न्यायालयीन सुरक्षा और अनुशासन का निविदाकर्ता को पूर्ण पालन करना होगा।
33. समिति द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तों का उल्लंघन करने/विवाद करने वाले या अन्यथा अभिभाषकों/न्यायालयीन कर्मचारियों, पक्षकारों आदि से विवाद करने वाले व्यक्तियों को निविदा कार्यवाही में भाग लिये जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा/उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा/ निविदा निरस्त की जा सकेगी।
34. कार्यालय जिला न्यायालय पन्ना को द्वितीय पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह निविदा की घोषित की गई शर्तों में से किसी शर्त को परिवर्तित/ परिवर्धित अथवा रद्द कर सकता है।
35. सफल निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन की दुकान वाले भाग में स्वयं के व्यय पर रंगरोगन, मरम्मत, फर्निशिंग आदि का कार्य समय-समय पर किया जायेगा।
36. कैंटीन के अंदर किसी भी मादक पदार्थों अथवा द्रव्यों/धूम्रपान (पान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि) का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

निविदाएं दिनांक 14/06/2016 को सायं 05:00 बजे कमेटी द्वारा खोली जावेगी, जिसमें निविदाकर्ता उपस्थित रह सकते हैं।


मुझे निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार हैं।

हस्ताक्षर

निविदा (प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर

(द्वितीय पक्ष)


जिला रजिस्ट्रार
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना (M0प्र0)